फर्द अहकाम

श्री किशन बनाम हनुमान

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 76/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11-8-25	पत्रावली प्रस्तुत। वा.फ. उप.। उभयपक्ष की पुनः बहस सुनी गई। हस्ताक्षर बोधिवक्तागण करवाये गये। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्कों, जवाब, दस्तावेजात के आधार पर प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

उपखण्ड 11-8-2025

11/8/25 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित प्रार्थना पत्र संख्या– 242/2016

1. श्रीकिशन
2. गोवर्धन
3. राजेंद्र, माता स्व. भवरी देवी
   पुत्रान् स्वर्गीय श्री भंवरलाल डांगी (भूरा)
4. श्रीमती कलावती पुत्री स्वर्गीय श्री भंवरलाल डांगी (भूरा)
   समस्त जाति ढोली (डांगी) निवासीयान प्लॉट नम्बर 33, लक्ष्मी नगर, हटवाडा रोड, सोडाला, जयपुर व प्लॉट नम्बर 45, 46, 47 नागतलाई, सुरजपोल, जयपुर।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र रघुनाथ
2. गोपाल पुत्र रामनारायण
3. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर
4. देशबन्धु पुत्र रामजीलाल
5. पवन कुमार पुत्र रामजीलाल
6. रामबाबू पुत्र ओमप्रकाश
7. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
8. भगवान सहाय पुत्र प्रताप
9. रामअवतार पुत्र प्रताप
10. रामबाबू पुत्र भैरू
11. रामकरण पुत्र भैरू
12. रामेश्वर पुत्र भैरू
13. बद्रीनारायण पुत्र भैरू
    समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी:– ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
15. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 11.08.2025

प्रार्थी पक्ष द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नं. 13/3261 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा गोविंदनारायण वल्द हेगा व भूरा [illegible] के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी तथा जमाबंदी संवत 2027 में इन लोगों का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा था तथा वह उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे तथा खातेदारान् के रूप में इनका नाम दर्ज किया हुआ था तथा इनको समस्त खातेदारी

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार उक्त आरजीयात बाबत प्राप्त थे। बुद्धा व गोविंदनारायण सगे भाई थे तथा बुद्धा का स्वर्गवास होने पर उसके हिस्से की भूमि बाबत राजस्व रिकॉर्ड में उनके पुत्र भूरा का नाम काश्तकार खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। गोविंदनारायण के कोई जायन्दा संतान उत्पन्न नही हुई तथा उसका लाऔलाद अवस्था में ही दिनांक 02.05.1955 को स्वर्गवास हो गया। मृतक गोविंदनारायण को गोविंदराम के नाम से भी जाना जाता था। गोविंदनारायण के कोई वारिस जाईन्दा पुत्र व पुत्री नहीं होने व मृतक का एकमात्र वारिस उसका भतीजा भूरा होने के कारण गोविदनारायण के हिस्से की आराजी भी भूरा को प्राप्त हो गई तथा भूरा संपूर्ण आराजी पर काबिज होकर काश्त करने लगा तथा उसको उक्त आराजीयात बाबत समस्त अधिकार प्राप्त हो गये। भूरा पुत्र स्वर्गीय बुद्धा प्रार्थीगण के नाना लगते थे। भूरा पुत्र बुद्धाराम का स्वर्गवास दिनांक 21.09.1972 को हो गया है। खसरा नंबर 13/3261 के बाद में विभाजन करते हुए खसरा नंबर 13/3216/1 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कायम किये गये तथा इस बाबत राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज कर दिया गया। उक्त नये खसरा नंबरान विपक्षी संख्या 2 ता 13 के पिता व पूर्वज भैरू पुत्र स्वर्गीय श्री छाजू व रामेश्वर पुत्र स्व. श्री रघुनाथ ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आपको काश्तकार होना जाहिर करते हुये दिनांक 29.03.1961 को तत्कालीन सरपंच द्वारा इनके नाम खातेदारी मंजूर करते हुये नामान्तकरण पंजिका में टिप्पणी दर्ज की:–

आज यह इंतकाल जल्से आम में पेश हुआ जिसमें खुद गौविंदा ढौली ने यह जाहिर किया कि यह भूमि श्री भैरू पुत्र छाजू अर्सदराज से काश्त करता है। अतः इसके नाम दफा 19 टीनेन्सी एक्ट की तहत खातेदारी मंजूर हो।

उक्त इंद्राज खसरा नंबर 13/3261/2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 14 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा बाबत भैरू पुत्र छाजू के नाम दर्ज किया गया। उक्त खसरा नंबर 14, 13/3261 व 13/5 गिन को मिलाकर नवीन खसरा नंबर 28 रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा कायम किया गया तथा उक्त नवीन खसरा नंबर 28 जमाबंदी संवत 2032 प्रार्थीगण के नाना भूरा वल्द बुद्धा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया तथा उक्त नवीन खसरा नंबर भूरा के नाम दर्ज करते समय विपक्षी संख्या 1 व उसके भाईयों रामनारायण, रामेश्वर व रामजीलाल ने 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्य 8 लगायत 13 के पिता भैरू पुत्र छाजू व उसके भाई प्रताप ने 1/2 हिस्सा बकृषक मिलीभगत कर दर्ज करवा लिया जिस बाबत आपत्ति करने पर जमाबंदी में से उनका नाम कृषक के रूप में दर्ज किया गया हटा दिया गया तथा प्रार्थीगण के नाना भूरा पुत्र बुद्धा के नाम उक्त खसरा नंबर 28 का एकमात्र काश्तकार के रूप में दर्ज हुई। प्रार्थीगण के नाना भूरा पुत्र बुद्धा का स्वर्गवास होने पर वारिसान नामान्तकरण उनकी पत्नी श्रीमति सायर बाई के नाम दर्ज की गई तथा उसमें पुनः उक्त लोगों द्वारा मिलीभगत कर व काश्तकार के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया तथा सायर बाई का स्वर्गवास होने पर वारिसाना नामान्तकरण प्रार्थीगण की माता श्रीमति भंवरी देवी पत्नी भंवरलाल पुत्री सायर बाई बेवा भूरा कौम ढोली के नाम से खोला गया। उसमें भी काश्तकार के रूप में उक्त लोगों का

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumlan Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज कर दिया गया। समय समय पर उत्तरदाताओं का गलत रूप से काश्तकार के रूप में नाम दर्ज करने बाबत आपत्ति भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। प्रार्थीगण की माता भंवरी देवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण के अलावा भंवरी देवी का अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ढोली जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति के अधीन आती है तथा विपक्षी 1 ता 13 व उनके पिता हरियाणा ब्राहम्ण जाति के सदस्य है जो कि सामान्य कैटेगरी में आते है तथा कानुनन वह धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के खातेदारान की भूमि सामान्य कैटेगरी के व्यक्तियो के नाम दर्ज नहीं की जा सकती, ना ही खातेदारी अधिकार ही किसी प्रकार ट्रांसफर किये जा सकते हैं। स्व. गोविंदनारायण व भूरा को जो हक व अधिकार उक्त आराजीयात बाबत प्राप्त हुये वह तमाम हक व अधिकार प्रार्थीगण को उनके कानून वारिसा एवं उत्तराधिकारी होने के कारण प्राप्त हो गये है लेकिन विपक्षी संख्या 1 ता 13 आपस में मिलीभगत कर पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये गये गलत इंद्राज के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से महरूम करने को उतारू है उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को अभी हाल ही में मार्च 2015 में हुई। इस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.03.2015 को तत्काल प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश करवाया दिनांक 10.04.2015 को राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उसका अवलोकन करने पर तमाम तथ्यों की जानकारी हुई है। विपक्षी संख्या 1 ता 13 राजस्व रिकॉर्ड की आड में व पूर्व में दर्ज करवाये गये गलत इंद्राज की आड में प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से वंचित करने व उसको खुर्द बुर्द करने को उतारू है तथा दिनांक 07.06.2015 को उनके द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी गई है कि वह उक्त आराजीयात को खुर्दबुर्द करके रहेंगे जिसका कि उनको कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है तथा प्रार्थीगण अधिकारी है कि वह विपक्षीगण की उक्त बेजा कार्यवाही को जरिये अदालत रूकवायें जिस हेतु यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि० 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि०ए०डी० नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 की ओर से जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि [illegible] भूमि खसरा नंबर 14 रकबा 4 बीघा [illegible] बिस्वा एवं खसरा नंबर 13/3261 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा राजस्व ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में [illegible] है। [illegible] भूमि गोविंदनारायण वल्द हेमा व भूरा वल्द बुद्धा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] गई थी। उक्त भूमि पर उत्तरदातागण के पूर्वज बजमाने जागीरदार के समय से काबिज काश्त रहे है तथा वर्तमान में उत्तरदातागण काबिज काश्त है। तत्पश्चात गोंविदनारायण वल्द हेमा एवं भूरा पुत्र बुद्धा ढोली स्वयं ने वर्ष 1960 में उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 45 व 46 मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज रामेश्वर पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

रूगनाथ व भैरू पि0 छाजू के नाम से स्वीकृत करवा दिया। उक्त नामान्तकरण की पुश्त पर बतौर सहमति गोविंदनारायण व भूरा की अंगुष्ठ निशानी है। उक्त गोंविदनारायण ढोली व भूरा ढोली ने स्वयं ने उक्त भूमि पर रामेश्वर पुत्र रूगनाथ व भैरू पुत्र छाजू कौम ब्राहम्ण अर्से दराज से कब्जा काश्त माना है। वाद अधीन कृषि भूमि में बुद्धा एवं गोविंदनारायण का कोई हिस्सा नहीं था और न ही बुद्धा व गोविंदनारायण का कोई कब्जा–काश्त था। बुद्धा के स्वर्गवास के पश्चात वादअधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भूरा का नाम गलत दर्ज हो गया था। गोविंदनारायण व भूरा ने नामान्तकरण संख्या 45 व 46 के जरिये उक्त भूमि की खातेदारी में से अपना नाम हजफ करवाकर उक्त भूमि की खातेदारी मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज रामेश्वर पुत्र रूगनाथ व भैरू पि0 छाजू के नाम से दर्ज करवा दी थी। इस मद में अंकित शेष तथ्य प्रार्थीगण स्वयं साक्ष्य से साबित करें। प्रार्थीगण ने गोविंदा ढोली की स्वर्गवास की दिनांक 02.05.1955 गलत अंकित की है और तथ्यों को तोड मरोडकर पेश किया है। गोविंदा का स्वर्गवास 02.05.1955 को हो गया था इसलिए मृतक व्यक्ति द्वारा दिनांक 29.06.1961 को जलसे में आम में जीवित व्यक्ति एवं उपस्थित था और उन्होंने इस मद में अंकित सहमति दी थी।

प्रार्थी की ओर से जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि जवाब प्रार्थना पत्र के मद नम्बर–1 जवाब दावा में उल्लेखित तथ्य असत्य एवं मनगढन्त है जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा वादग्रस्त सम्पति को प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों अर्थात प्रार्थीगण की माता स्वर्गीय भंवरी देवी पुत्री सायर बाई सार संभाल करने जाती थी। उसकी मृत्यु के पूर्व प्रार्थीगण की नानी स्वर्गीय सायरा बाई बेवा भूरा सार संभाल करती आ रही है। प्रार्थीगण के नाना भूरा पुत्र बुद्धा की मृत्यु दिनांक 21/09/1972 को हो गयी, उसके पश्चात फौती नामान्तरण प्रार्थीगण की नानी सायर बाई के पक्ष में पटवार हल्का पटवारी द्वारा वर्ष 1978 में नामान्तरण संख्या 257 दिनांक 30/12/1978 को तस्दीक हुआ। तत्पश्चात प्रार्थीगण की नानी समय समय पर अपने कब्जे काश्त की भूमि की देखभाल करने नायला जाती आती रहती थी तथा उपयोग उपभोग करती आ रही थी। प्रार्थीगण की नानी सायर बाई का देहावसान दिनांक 15/05/2001 को हो गया। प्रार्थीगण की नानी के देहवसान के पश्चात सायर बाई के एक मात्र उत्तराधिकारी उसकी लड़की भँवरी देवी पुत्री सायर बाई पत्नी भंवर लाल है। इस कारण प्रार्थीगण की माता भँवरी [illegible] 2007 तक वादग्रस्त सम्पति की देखभाल व सार संभाल करने नायला जाती आती रहती थी तथा अपनी कब्जे काश्त की भूमि की सार संभाल करती रहती थी। इसी प्रकार प्रार्थीगण अपनी माता की मृत्यु के पश्चात श्रीमान् तहसीलदार जी के समक्ष फौती नामान्तरण तस्दीक करने बाबत् प्रार्थना पत्र वर्ष 2006 में प्रस्तुत किया जिसे श्रीमान् तहसीलदार जी ने अपने आदेश क्रमांक भू0अ0/06/4290 दिनांक 29/07/2016 को दिया। प्रार्थीगण के पूर्वजों अर्थात नाना भूरा पुत्र बुद्धा व नानी सायर बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

बेवा भूरा के नाम वर्तमान तक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2071 तक अनवरत जारी है जो कब्जे काश्त को बखूबी साबित करती है तथा कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 में प्रार्थीगण के नाना स्वंय काश्त के रूप में दर्ज चला आ रहा है तथा पर्चा खतौनी सम्वत् 2008 से 2027 भी प्रार्थीगण के नाना व उसके चाचा के नाम से पर्चा जारी किया गया है। इस प्रकार कब्जा नहीं होने पर तथ्य मनगढन्त एवं बनावटी है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर निरन्तर काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जवाब प्रार्थना का मद नम्बर–2 में उल्लेखित तथ्यों में बुद्धा एवं गोविन्द नारायण का कब्जा काश्त नहीं होने का तथ्य मनगढन्त एवं श्रीमान् न्यायालय को भ्रामक करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। नामान्तरण संख्या 45 व 46 जो कि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीकशुदा नामान्तरण है, नामान्तरण के ऊपर गोविन्द नारायण द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है। चूँकि नामान्तरण संख्या 46 के ऊपर भैरू पुत्र छाजू के सम्बन्ध में कब्जा काश्त होने का तथ्य सरपंच द्वारा उल्लेखित किया गया है चूँकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत (सरपंच) को खातेदारी अधिकार प्रदान करना या एक खातेदार के खातेदारी अधिकार से वंचित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है तथा तत्तकालीन सरपंच ग्राम पंचायत नायला रामनारायण शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ जो अपने भ्राता रामेश्वर के नाम से नामान्तरण "बकास्त" तस्दीक कर दिया। इस प्रकार "नो मैन केन बी जज इन ऑवन कैस"। इसलिये उक्त प्रकार से नामान्तरण संख्या 45 व 46 कानूनी एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण इनवोशिया वोईड है। नामान्तरण संख्या 45 की पुश्त पर तत्कालीन सरंपच ने मात्र गोविन्द नारायण के बाबत् मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजों रामेश्वर पुत्र रघुनाथ को काश्त दर्ज करने का तथ्य उल्लेख किया जबकि उक्त दिनांक को गोविन्दा ढोली अर्थात गोविन्द नारायण उक्त तारीख को जीवित नहीं था। इसी प्रकार भूरा ढोली की भी लगायी है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त निशानियों साजपूर्वक जालसाजी करके सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा लगायी है। इसलिये उपरोक्त प्रकार से नामान्तरण संख्या 45 पर मात्र गोविन्दा उर्फ गोविन्द नारायण ढोली के सम्बन्ध में तत्कालीन सरपंच रामनारायण शर्मा पुत्र रघुनाथ ने फर्जी सहमति उल्लेखित की है। ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से बकास्त दर्ज करने का नामान्तरण करने का कानूनी अधिकार नही है। नामान्तरण संख्या 45 व 46 से किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के किसी प्रकार के कानूनन कोई राईट सर्जित आज दिवस तक नहीं हुए है। "बकास्त" [illegible] अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है [illegible] न्यायालय से खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते। इस आधार पर अप्रार्थीगण एवं उसके पूर्वजों का वादग्रस्त आराजियात में किसी भी प्रकार से कानूनी [illegible] प्रकार सृजित नहीं हुए है। जवाब प्रार्थना पत्र का मद नम्बर–3 में उल्लेखित तथ्यों में राजरव रिकार्ड नामान्तरण संख्या 45 व 46 जो कि शुरू से ही अबनोशियों वोइड है के आधार पर किसी भी प्रकार की खातेदारी अधिकार आज दिवस तक प्राप्त नहीं हुए है। "बकास्त" के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व रिकार्ड मे

दर्ज है जो आज दिवस तक जमाबन्दी [illegible] से 2068 तक अप्रार्थीगण "बकास्त" दर्ज है। इस प्रकार "बकास्त" से किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। जब तक कि सक्षम न्यायालय से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा मिन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं करवायी जाती तब तक किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इस प्रकार मिन अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हुए है। अप्रार्थीगण खाते कॉलम में "बकास्त" दर्ज है। "बकास्त" खातेदार की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिये तथ्यों को तोड मरोड कर प्रस्तुत किया गया है। "एस्टोपल" का सिद्धान्त कानूनी प्रावधानों पर लागू नही होता है। जब किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त नही हुए तो खातेदारी मिलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। "बकास्त" शब्द से मात्र जालसाजी करते हुए मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजों रामनारायण पुत्र रघुनाथ जो तत्कालीन सरपंच पद पर रहते हुए साजपूर्वक अपने पद का दुरूपयोग करते हुए "बकास्त" का नामान्तरण तस्दीक किया है जो राजस्व रिकार्ड में आज दिवस तक यथावत चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण ने घोषणा बदूरस्ती का वाद लाना आवश्यक है। जवाब प्रार्थना पत्र का मद नम्बर–4 में उल्लेखित तथ्यों में नामान्तरण संख्या 45 व 46 जो प्रारम्भ से शून्य एवं प्रभावहीन है के द्वारा किसी भी प्रकार के राईट नहीं मिलते है तथा उक्त नामान्तरण से मात्र "बकास्त" का इन्द्राज अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों ने साजपूर्वक करवा लिया। चूँकि उक्त नामान्तरण संख्या 45 व 46 को चुनौति प्रश्न पर गौविन्द नारायण की मृत्यु नामान्तरण तस्दीक होने से पूर्व ही हो चुकी है तथा भूरा की मृत्यु वर्ष 1972 में हो चुकी है। उक्त नामान्तरण जालसाजी पूर्वक एवं सरपंच ने अपने पद का दुरूपयोग करके तस्दीक किये गये थे। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण के पूर्वजों का नहीं हो सकती चूँकि शुरू से ही प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जो अनवरत है। इस प्रकार उक्त आदेश ऐबनिशियों वाईड आदेश है, को प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् के समक्ष दावा प्रस्तुत करके दुरूस्त करवा रहे हैं चूँकि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी आज दिवस तक प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से चली आ रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण भूरा पुत्र बुद्धा के दोहिते है। प्रार्थीगण की माता श्रीमती भँवरी देवी डांगी पत्नी श्री भंवर लाल डांगी पुत्री भूरा के द्वारा एक पैन कार्ड जारी करवाया गया जिसमें पैन नम्बर एईएलपीडी0634 सी आयकर विभाग से जारी किया गया जिसमें प्रार्थीगण की माता के पिता के रूप में भूरा का नाम उल्लेखित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की नानी श्रीमती सायर बाई के पक्ष में नामान्तरण संख्या 257 दिनांक 31/12/1978 को ग्राम पंचायत द्वा[illegible] की तस्दीक किया गया है जिसमें श्रीमती सायर बाई हाल आबाद [illegible]यपुर का पता उल्लेखित किया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण [illegible]स्था पेन्शन डायरी उपरोक्त पते से बनवायी हुई है जो प्रार्थीगण के कब्जे में है [illegible] श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण की स्वर्गीय सायर बाई नानी है उसके एक मात्र उत्तराधिकारी है। चूँकि दर्ज नामान्तरण संख्या 45 व 46 के समय भूरा पुत्र बुद्धा स्वंय जिन्दा था तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 257 दिनांक 31/12/1978 को भूरा की विरासत का खोला गया है जिसमें श्रीमान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जी ने स्वर्गीय सायर बाई को [illegible] का वारिस माना है तथा ग्राम पंचायत से स्वर्गीय सायर बाई को वारिस मानते हुए उक्त विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया है तत्पश्चात दिनांक 15/05/2001 को सायर बाई की मृत्यु होने के पश्चात प्रार्थीगण की माता ने श्रीमान् तहसीलदार जी के समक्ष विरासत नामान्तरण तस्दीक कराने की गुहार लगायी जिस पर श्रीमान् तहसीलदार जी ने अपने आदेश क्रमांक भू0310/6/4290 दिनांक 29/07/2006 को पटवार हल्का पटवारी का बाद जांच नामान्तरण खोलने का आदेश प्रदान किया जिस पर पटवार हल्का पटवारी ने अप्रार्थीगण की राजनैतिक एवं धनबल के आधार पर पटवार हल्का पटवारी से नामान्तरण संख्या 984 को भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश कर दिया किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरण को तस्दीक करने से मना कर दिया। इसलिये श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद लाना आवश्यक हुआ। चूँकि ग्राम पंचायत में अप्रार्थीगण द्वारा अपनी राजनैतिक पहुँच एवं धनबल एवं भुजबल के आधार पर 5 वर्ष तक नामान्तरण तस्दीक नहीं होने दिया तथा दिनांक 21/12/2012 को अप्रार्थीगण ने नामान्तरण संख्या 984 को खारिज करवा दिया। उक्त नामान्तरण खारिज करते हुए ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर "बकारत" नामान्तरण तस्दीक किया है। चूँकि नामान्तरण संख्या 45 व 46 से अप्रार्थीगण को मात्र "बकारत" से ज्यादा अधिकार नही मिलते है उक्त निर्णय में इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 46 में मात्र भैरू पुत्र छाजू के नाम नामान्तरण "बकारत" भरा गया था जबकि ग्राम पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 21/12/2012 के द्वारा प्रताप को भी शामिल करते हुए मृतक बताते हुए फौती नामान्तरण भरने के आदेश दिया। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने रामेश्वर, रामजीला, रामनारायण, पुत्र रघुनाथ व भैरू व प्रताप पुत्र छाजू का बिना किसी अधिकार के उक्त आदेश पारित किया है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण की आराजियात को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अप्रार्थीगण से साज करके कुटरचित दस्तावेजात तैयार करके उक्त नामान्तरण सख्या 984 को खारिज करने के बहाने अप्रत्यक्ष रूप से "बकारत" दर्ज की गयी, जो आपराधिक प्रकृति का कार्य है। ग्राम पंचायत को किसी भी अधिकार से उक्त आदेश प्रदान करने की शक्ति नहीं है।

प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज नकल प्रमाणित जमाबंदी संवत 2054 से 2057, खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2030, पर्चा लगान असल, लगान रसीद असल मूल खसरा नंबर 40 दिनाकं 12.07.1959, रसीद असल मूल खसरा 10 लगान 24 रूपये 58 पैसे, मिलान क्षे[illegible] प्रमाणित भूमि एकीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र भूरा पुत्र बुद्धा मूल, मृत्यु प्रमाण [illegible] जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उत्तराधिकार प्रस्ताव पत्र की प्रमाणित [illegible] गिरदावरी संवत 2009 से 2070, मूल दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र गोविंदनारा[illegible] पुत्र कैमू, फोटोकॉपी श्री किशन पुत्र भंवरलाल जाति प्रमाण पत्र, श्री किशन का आधार की फोटो प्रति, पेन कार्ड भंवरी देवी फोटो प्रति, मूल पेंशन डायरी सायर बाई पत्नी भूरा, राशनकार्ड श्री किशन, भंवरलाल, गोर्वधन, राजेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

पुत्र भंवरलाल की फोटो कॉपी, फोटो कॉपी प्रमाणित पत्र डी.जे. जयपुर, सायर देवी का शोक संदेश की पत्रिका मूल कॉपी, प्रमाणित प्रति नामांतकरण 257 दिनांक 31.12.1978 पेश किये।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस एवं लिखत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने हेतू प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन तीन बिंदुओ को देखा जाना है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज काश्तकार है। गौंविदनारायण वल्द हेमा एवं भूरा पुत्र बुद्धा ढोली स्वयं ने वर्ष 1960 में उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 45 व 46 अप्रार्थीगण के पूर्वज रामेश्वर पुत्र रूगनाथ व भैरू पि0 छाजू के नाम से स्वीकृत करवा दिया। उक्त नामान्तकरण की पुश्त पर बतौर सहमति गोविंदनारायण व भूरा की अंगुष्ठ निशानी है। जोकि प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है। उक्त गोंविदनारायण ढोली व भूरा ढोली ने स्वयं ने उक्त भूमि पर रामेश्वर पुत्र रूगनाथ व भैरू पुत्र छाजू कौम ब्राहम्ण अर्से दराज से कब्जा काश्त माना है। जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पूर्वजो का कब्जा साबित नही होता है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद दायरी के समय वाद अधीन भूमि पर पूर्व का कब्जा काश्त होना प्रार्थी को साबित करना आवश्यक है। वाद अधीन कृषि भूमि में बुद्धा एवं गोविंदनारायण का कोई कोई कब्जा–काश्त था यह प्रार्थी ने कही भी साबित नहीं किया है। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया केस साबित हो अर्थात प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहां वादअधीन आराजीयात पर वादीगण का कब्जा साबित नही होकर प्रतिवादीगण का कब्जा साबित होता हो तो सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के पक्ष में ही बनता हैं और यथास्थिति के आदेश से मुतदाविया आराजीयात का कोई हल नही निकलता हो तो ऐसा आदेश कानून की दृष्टि में उचित आदेश नही हैं। जैसे *2007 आर. आर. डी पेज 945* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दोनो पक्षों के पक्ष में बखूबी तहकीकात कर यथास्थिति का आदेश पारित किया जावें अन्यथा नही । उपरोक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी अवस्था में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नही बनता हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किये जाने योग्य खारिज हैं।यह विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जहां राजस्व भू–अभिलेखों के साथ साथ किसी व्यक्ति का कब्जा भी नही हो तो उसके पक्ष में किसी भी सूरत में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि प्रार्थी ढोली जाति अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि राज्य सरकार

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वर्ष 1976 में ढाली जाति को अनुसूचित जाति में रखा था इससे पूर्व ढोली जाति सामान्य जाति में ही मानी जाती है। जोकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से साबित है, जब राजस्व भू–अभिलेखों में अप्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है, तथा कब्जा भी खसरा गिरदावरियो से बखूबी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व भू–अभिलेख व कब्जा प्रथम दृष्ट्या साबित नही होता हैं, तो किसी भी अवस्था में प्रथम पक्ष के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य हैं, जैसे *2005 आर. आर. डी पेज 49* में प्रतिपादित किया है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में सम्पूर्ण राजस्व भू–अभिलेख दस्तावेजी सूची के साथ प्रस्तुत किये हैं। उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी साबित है कि सम्पूर्ण प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या साबित हैं, प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नही बनता जबकि इसी के साथ सुविधा का संतुलन भी मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या ही साबित हैं और जब प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन तीनों आधारभूत तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है तो अपूर्तनीय क्षति भी किसी भी अवस्था में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को ही कारित होगी, न की प्रार्थी को। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तो सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने का सवाल ही पैदा नही होता है क्योंकि समस्त राजस्व भू–अभिलेख तथा प्रार्थना पत्र की प्लीडिंग से यह बखूबी साबित है।

यदि एक भू–अभिलिखित काबिज खातेदार काश्तकार जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव के समय से काबिज काश्तकार हो उसको यदि पाबन्द किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति मिन अप्रार्थीगण को ही होगी क्योंकि यदि दौराने दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो वह अपने समस्त राजस्व कानूनी अधिकारो से महरूम हो जायेगें और यदि वादी को वाद पत्र में सफलता नही मिलती है तो मिन अप्रार्थीगण को एक ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित हो जायेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी अवस्था में पूरी नही हो सकेगी, इसके बनिस्पत यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया जाता है तो दावे में यदि वादी सफल हो भी जाता है तो दौराने दावा किये गये समस्त संक्रमण कानूनन माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दी गई डिक्री के अधीन रहेगें। इसलिए प्रार्थी को भविष्य में भी कोई अपूर्तनीय क्षति कारित नही हो सकती हैं। इन उपरोक्त समस्त तथ्यों की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नही है तथा जब दोनो आधारभूत तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में नही है तो अपूर्तनीय क्षति किसी भी सूरत में प्रार्थी को कारित नही हो सकती। साथ ही No possession no injunction *आर. आर. डी पेज 38, 2004 आर. आर. डी पेज 223* जैसे 2005 में प्रतिपादित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि काबिज व्यक्ति को टी. आई. की आड में किसी भी अवस्था में बेदखल नही किया जा सकता। क्योंकि

मुख्य निर्णय वाद में ही किया जायेगा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना या नही करना केवल प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति आदि तीनों बिन्दूओं को आधार मानते हुए निर्णय पारित किया जाता है। वाद की गुणवता को ध्यान में बिना रखे अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने के पूर्व केवल उपरोक्त तीनों तत्वों की एक साथ (Commuletive presence) उपस्थिति आवश्यक हैं, और उपरोक्त तीनों तत्वों में से एक भी तत्व की अनुपस्थिति हो तो किसी भी अवस्था में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, तथा काबिज व्यक्ति को टी.आई. की आड में किसी भी अवस्था में बेदखल करने बाबत् न्यायालय किसी भी पक्षकार को अनुमति नही दे सकता । जैसे *2003 आर. आर. डी पेज 144*, 148, *1975 आर. आर. डी. पेज 57, 1976 आर. आर. डी. पेज 446, 1992 आर. आर. डी पेज 223,* अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय न्यायालय को किसी भी अवस्था में वाद पत्र में पारित होने वाले निर्णय व गुणावगुण पर कोई विचार नही करना चाहिए क्योंकि ट्रांसफेरी मूल वाद में निर्णय के अनुसार ही बाध्य होता है, और यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने के बावजूद वादी/प्रार्थी यदि अपने वाद पत्र में सफलता हासिल करता है तो वादअधीन होने वाले समस्त कार्यवाही उस न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री से बाध्य होगी। इस प्रकार वाद के विचाराधीन होने तथा वाद में कोई कानूनी बिन्दू निहीत होने के आधार पर किसी भी अवस्था में भू— अभिलेख खातेदारी तथा कब्जेधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । उक्त जैर कृषि भूमि का विधिवत विभाजन होकर इन्द्राज पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज हो चुके है। जिसको आज दिवस तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी गई है। यह कि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि भू—अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध किसी भी अवस्था में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। जैसे 1997 डी. एन. जे. एस. सी. 06 में प्रतिपादित किया है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, यहाँ पर प्रार्थीगण ने प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर)

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:53 IST
Reason: SelfAttested